बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
विकास भवन, न्यू सचिवालय, बेली रोड, पटना – 800015

।। भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु कोटेशन का आमंत्रण ।।

नगर विकास एवं आवास विभाग में भाड़े पर अनुबंध के आधार पर वाहन रखने के लिए पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों से निम्नांकित शर्त्तो पर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. वाहन का दर प्रतिमाह ईंधन सहित परिचालन सभी करों सहित अंकित करना होगा जिसके अंतर्गत वाहन चालक, वाहन का रख–रखाव मरम्मति, टैक्स इंशोरेंस एवं सुरक्षा संबंधी सभी व्यय का वहन वाहन मालिक को करना होगा।
2. कोटेशन सीलबंद लिफाफा में निम्न प्रपत्र में पूरा भरकर देना होगा। त्रुटिपूर्ण प्रपत्र/अपूर्ण प्रपत्र भरने वाले एजेंसी का कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

Sl No.	Name of Vehicle	Rate in Rupees (Exclusive of all Taxes)									
		Local Booking			Outstation Booking			Monthly Booking			
		Half day (35KM/ 4Hr)	Full day (60KM/ 12Hr.)	Full day (75KM/ 12Hr.)	Basic rate Rs. per KM without night halt	Basic rate Rs. per KM with night halt	Minimum chargable amount per day	Up to 1000 KM	Up to 1500 KM	Extra rate per KM beyond 1000 KM	Extra rate per KM beyond 1500 KM
1	SCORPIO (A/C) & equivalent SUV										
2	SUMO/BOLERO (A/C) & equivalent SUV										
3	INDIGO (A/C) & equivalent Car										
4	SWIFT & equivalent Car										
5	Creta & equivalent SUV										
6	Fiesta (Fords) & other equivalent Car										
7	INNOVA/ XYLO /SAFARI (A/C) & other Luxarious equivalent SUV										

3. एजेंसी के पास स्वयं के नाम का कम से कम पाँच वाहन होना चाहिए, जिसकी सूचना लिफाफे में वाहन का प्रकार एवं वाहन संख्या सहित अंकित होना चाहिए।
4. निविदा के साथ में 20,000/– (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के नाम से Pledge हो, संलग्न करना होगा।

   असफल कोटेशनदाता का बैंक ड्राफ्ट कोटेशन पर निर्णय होने के पश्चात् लौटा दिया जाएगा। सफल कोटेशनदाता का बैंक ड्राफ्ट अनुबंध अवधि तक सुरक्षित जमा राशि के रूप में रखा जाएगा, तत्पश्चात् अवधि समाप्त होने पर बैंक ड्राफ्ट लौटाया जाएगा। साथ ही अनुबंध अवधि तक ड्राफ्ट की वैधता रखनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

5. गाड़ी परिचालन योग्य नहीं होने तथा खराब होने पर निविदादाता को तुरंत समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। दो वर्षो से पुरानी गाड़ी मान्य नहीं होगी। वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिए। वाहन का रख–रखाव एजेंसी के द्वारा की जाएगी। वाहन में तौलिया, फ्रेशनर, मशिनरी खराबी इत्यादि एजेंसी के द्वारा वहन किया जाएगा।
6. गाड़ी की कार्य अवधि सामान्यतया 12 घंटे की होगी परन्तु पटना के बाहर कार्य स्थल निरीक्षण पर जाने अथवा कार्यहित में अधिक घंटे के उपयोग के लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी, बशर्त्ते की वो मासिक निर्धारित दूरी (1000/1500 कि.मी.) की अधिसीमा में हो।
7. सभी वाहनों का निबंधन होना चाहिए तथा अन्य सभी वांछित कागजात अद्यतन स्थिति में होनी चाहिए। अगर किसी कागजात में कमी अथवा अन्य कारण से सक्षम पदाधिकारी द्वारा अर्थदण्ड लिया जाता है तो उसका भुगतान गाड़ी के मालिक को करना होगा। निविदा स्वीकृत होने पर गाड़ी के सभी कागजात जो अद्यतन स्थिति में हो की छायाप्रति तथा ड्राईवर के ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति विभागीय मुख्यालय में जमा करना होगा।
8. गाड़ी के लिए एक लॉग बुक होगा, जिसमें प्रभारी पदाधिकारी द्वारा उपयोग किए गए कि.मी. को दर्ज किया जाएगा।
9. एकरारनामा एक वर्ष के लिए मान्य होगा, परन्तु यथा आवश्यक उभय पक्ष की सहमति से किए गए एकरारनामा की अवधि पूर्व स्वीकृत दर एवं शर्त्तो पर विस्तारित की जा सकती है।
10. सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्त प्रपत्र में दर संबंधी सम्पूर्ण सूचना, वाहनों की सूची, ऑनर बुक एवं रजिस्ट्रेशन तथा इंश्योरेंस की छायाप्रति के साथ पैन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति, बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
11. सभी कोटेशन कागजात दिनांक – 05.03.2019 के 3:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा एवं उसी दिन कोटेशनदाता की उपस्थिति में अपराह्न 5:00 बजे उनका सीलबन्द लिफाफा खोला जाएगा। एजेंसी द्वारा अंकित दर यदि अधिक पाया जाता है तो विभाग द्वारा दर वार्त्ता भी की जा सकती है।
12. उक्त कोटेशन के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में श्री अमितेश कुमार, आई.टी. मैंनेजर से दूरभाष संख्या – 0612–2210000 से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को कोटेशन स्वीकार करने अथवा सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,

ज्ञापांक – 7 न०वि०ले० – 04(ट्रेवल्स)/2017...219... न०वि० एवं आ० वि० दिनांक – 11-02-19
प्रतिलिपि– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को आमंत्रण सूचना की सी.डी. एवं 5 (पाँच) प्रति राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के दो–दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
अन० – 1. आमंत्रण सूचना 5 प्रतियों में।
2. सी.डी. एक प्रति में।

11-02-19
सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,

D:/>sec-7/vividh;-